

संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्य प्रदेश



वेब साइट: www.dif.mp.gov.in

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ

ग-खण्ड, प्रथम तल,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462003

दूरभाष- 0755-2551199, 2552003

फेक्स- 0755-2551387

ई-मेल: difbho@mp.gov.in

क्र.बिस्क-आईटी(3)/संविसं/2017/...3427-

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2018

प्रति

राज्य स्तरीय प्रमुख,

- वाणिज्यिक बैंक (समस्त)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (समस्त)
- निजी क्षेत्र के बैंक (समस्त)

मध्य प्रदेश

विषय : ब्रिस्क योजनान्तर्गत ऑन-लाइन साफ्टवेयर में दर्ज की जाने वाली आर.आर.सी. की राशि की सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में ।

ब्रिस्क ऑन-लाइन साफ्टवेयर में राशि रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) तक की आर.आर.सी. जारी करने का प्रावधान था । भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06/09/2018 से बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम,1993 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप आर.आर.सी. जारी करने हेतु अधिकतम राशि की सीमा रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) से बढ़कर रुपये 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) हो गई है ।

तदनुसार आर.आर.सी. साफ्टवेयर (Web-enabled BRISC Software) में आर.आर.सी. दर्ज करने हेतु वर्तमान में निर्धारित सीमा रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) से बढ़ा कर रुपये 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) की गई है ।

अतः अनुरोध है कि आपके अधीन सभी बैंक शाखाओं को उपरोक्त परिवर्तन के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें ।

S.K. Gupta

(सतीश कुमार गुप्ता)

संयुक्त संचालक

संस्थागत वित्त, म.प्र.

क्र.बिस्क-आईटी(3)/संविसं/2017/...3428-

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. कलेक्टर, जिला (समस्त), मध्य प्रदेश
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, म.प्र. राज्य इकाई, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।
3. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र. ।
4. जिला अग्रणी प्रबंधक (समस्त), मध्य प्रदेश ।

S.K. Gupta

संयुक्त संचालक

संस्थागत वित्त, म.प्र.